उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-151/2015/आर-5382/26-3-2015

लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-278/59/ज.जा.वि./स्था.2015-16, दिनांक-16.12.2015 में किये गये अनुरोध के क्रम में सुश्री छाया सेठ, सहायक अध्यापिका (एल.टी.), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, लखीमपुरखीरी जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शैक्षिक सत्र 2015-16 में दिनांक-31.12.2015 को सेवानिवृत्त हो रही हैं, को उनके कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक-21.01.1991, शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक-19.01.1996 तथा शासनादेश संख्या-2114/26-1-2015-2जी(150)/89, दिनांक-17.08.2015 में उल्लिखित शर्तो/प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सुश्री छायासेठ, सहायक अध्यापिका (एल.टी), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, लखीमपुरखीरी को शैक्षिक सत्र 2015-16 में दिनांक-31.03.2016 तक का सत्रलाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0सं0 151/2015/आर-5382(1)/26-3-2015-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक-16.12.2015 के सन्दर्भ में।

3-कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।

4-जिला सामज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।

5-प्रधानाचार्य/अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, लखीमपुरखीरी।

6-सुश्री छायासेठ, सहायक अध्यापिका (एल.टी), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, लखीमपुरखीरी।

7-गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।